

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी - विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:-111/2021

GCMS No. -2021/300

1. जीवनलाल पिता चुन्नीलालकुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2. कौशल्या बाई पुत्री चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3. गणपतलाल पुत्र चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
4. मोहनलाल पिता चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
5. रमेशचन्द्र पिता चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
6. राधा बाई पुत्री चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
7. लाली बाई पुत्री चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
8. सुमित्रा बाई पुत्री चुन्नीलाल कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
9. गौतमलाल पिता ओमप्रकाश कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
10. नाथीबाई पत्नि ओमप्रकाश कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
11. मु० कान्ता बाई पुत्री ओमप्रकाश कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
12. पुष्कर लाल पिता ओमप्रकाश कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
13. पुष्पा पुत्री ओमप्रकाश कुमावत निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र भागीरथ जाट निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2. बाबुसिंह पिता गोटू दरोगा निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3. रामसिंह पुत्र भागीरथ जी जति जाट निवासी मांगरोल, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम -1955

दिनांक:- 13.11.2024





प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के अभाव में वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि वादी के मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि में वादी नम्बर 1 से 8 का प्रत्येक का 1/9-1/9 हक हिस्सा व वादी न० 9 से 13 का संयुक्त 1/9 हक हिस्सा घोषित किया जाता है तथा आराजी नं० 1193 में

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रतिवादी क्रमांक 1 का 11/26 हक हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 2 का 19/78 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/3 हक हिस्सा अनुसार उनके नाम घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मांगरोल प०ह० मांगरोल तह० निम्बाहेडा में स्थित वादग्रस्त आराजी नं० 1215 में वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें। तहसीलदार निम्बाहेडा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई




(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा